न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 22/2021 दायरा दिनांक 31.03.2021

GCMS CASE NO- 2021/22

सन्तराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन भोजेवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ बहैसियत प्रतिनिधि भू–धारक (रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री धनवीर सिंह हुन्दल, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

दिनांकः– 06.04.2023

:: निर्णय ::

यह अपील तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के प्रकरण संख्या 11/2021 अनवान सरकार बनाम सन्तराम में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 2 केएसपीएम ए के मु0 नं0 50/22 के किला नं0 6–15–16/0.759 है0 25/0.127 है0 कुल 0.886 है0 रकबा पर अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानते हुए अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल को कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल की नीलामी करने हेतु व टीआरए को पेनेल्टी कायम करने हेतु व हल्का पटवारी को पेनेल्टी राशि वसूल करने व अपीलांट की प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक राज्य सरकार को दिये जाने के आदेश पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। जैर अपील रकबा वाके चक 2 केएसपीएम ए के मु0 नं0 50/22 के किला नं0 6–15–16/0.759 है0 25/0.127 है0 कुल 0.886 है0 भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षों से कब्जा काश्त है। जैरवाद रकबा को विशेष आवंटन में आवंटन करवाने हेतु पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ में जैरकार है। मातहत न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष रखे बिना ही पीठ पीछे आदेश पारित कर कानून के प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जबकि श्रीमान उच्च न्यायालय द्वारा जारी न्यायिक मत 2008 (1) आरजे 670 के मुताबिक नाजायज काश्त की कार्यवाही न कर नियमन की कार्यवाही की जानी चाहिए तथा बेदखल नहीं किया जाना चाहिए इसलिए अपीलीय आदेश निरस्ती योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धनवीर सिंह हुन्दल हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का वाके चक 2 केएसपीएम ए के मु0 नं0 50/22 के किला नं0 6–15–16/0.759 है0 25/0.127 है0 कुल 0.886 है0 भूमि पर अपीलांट का काफी वर्षों से कब्जा काश्त है। वर्णित रकबा को विशेष आवंटन में आवंटन करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन अधिकारी सूरतगढ में पत्रावली जैरकार होते हुए भी मातहत न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए हल्का पटवारी की पी–14 की रिपोर्ट के आधार पर बिना जांच किये अपने ही कयासों पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो कतई रखने योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि जैर अपील आदेश पारित करते समय मातहत अदालत ने अपने ही कयासों पर पटवारी एवं आईएलआर की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए मात्र लिपिक की परफोर्मा की एकतरफा टिप्पणी के आधार पर आदेश पारित किया गया है। मातहत न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान करना उचित नहीं समझा ... सी के आदेश 8 नियम 1 के मुताबिक न्यायहित में जवाब प्रस्तुत करने का 30 दिवस का अवसर ... जाता ... अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनरस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2021 ... किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अ... ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar

Date: 2023.06.13 11:14:08 IST

Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 22.03.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलांट दिनांक 27.04.2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner